भारत सरकार

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(खेल विभाग)

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2716

उत्तर देने की तारीख 23 मार्च, 2023

2 चैत्र, 1945 (शक)

भारतीय मूल के खिलाड़ियों को देश के लिए खेलने की अनुमति देना

2716 श्री कार्तिकेय शर्माः

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार भारतीय मूल के खिलाड़ियों को भारत के लिए खेलने की अनुमति देने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो उनके चयन के लिए पात्रता मानदंड का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (ग): सरकार के विद्यमान अनुदेशों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए केवल भारतीय नागरिक पात्र हैं। अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए अनिवासी भारतीयों को अनुमति देने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।
